



कार्यालय पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन, कमिश्नरट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-28.07.2024

विषय:-पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन श्री मनीष कुमार शांडिल्य की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय बाबतपुर में गोमती ज़ोन के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों व प्र0नि0/थानाध्यक्ष के साथ की गई अपराध गोष्ठी एवं दिए गये आवश्यक निर्देश ।

1. आम जनमानस से पुलिस कर्मी शालीनतापूर्वक व्यवहार करें । किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें ।
2. महिला सम्बंधी एससी/एसटी से संबंधित अपराधों का गंभीरतापूर्वक त्वरित विधिक निस्तारण किया जाये तथा निस्तारण के उपरान्त उनके फीडबैक प्राप्त कर आवश्यकतानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
3. टॉप-10 अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करना, जिलाबदर घोषित कराने सम्बन्धी निर्देश दिये गये।
4. थानों पर अपराधियों की सूची का अवलोकन कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाए।
5. विगत वर्षों से प्रकाश में आये, जिन अपराधियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर निरोधात्मक कार्यवाही करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया।
6. महिला संबधी अपराधों/गोकशी/गौतस्कर व शराब माफियाओं के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
7. थाना क्षेत्र के लापता एचएस की जानकारी कर चेकिंग एवं प्रभावी विधिक कार्यवाही की जाए।
8. थानों पर लम्बित मुकदमाती मालों के नियमानुसार शीघ्र निस्तारण करने हेतु निर्देश दिए गए।
9. जनता की समस्याओं को नम्रतापूर्वक सुनकर उन्हें भरोसा दिलाते हुये समस्याओं का त्वरित विधिक निस्तारण किया जाये।
10. पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही तथा हिस्ट्रीशीटर/ जेल से रिहा अपराधियों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी की जाये।
11. थाना क्षेत्रों में प्रतिदिन पैदल गश्त करते हुए संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग की जाये साथ ही शराब के ठेकों/ढाबा होटलों/बैंक/एटीएम सर्वाफा दुकानों के आसपास चेकिंग की जाये।
12. थानों में लम्बित विवेचनाओं का गुणवत्तापूर्वक शीघ्र निस्तारण किया जाये।
13. भूमि सम्बंधी विवादों का राजस्व विभाग की सहायता से निस्तारण करवाया जाये तथा आवश्यकतानुसार पक्षकारों को पाबंद कराया जाये।
14. थानों पर गुमशुदगी रजिस्टर का अवलोकन कर पूर्व में गुमशुदा लोगों की तलाश में तेजी लायी जाये।
15. पीआरवी वाहन क्षेत्र में धार्मिक स्थलों/ बैंक/ एटीएम/शिक्षण संस्थानों के आस पास भ्रमणशील रहे, थाना प्रभारी पीआरवी वाहनों की नियमित/आकस्मिक चेकिंग करना सुनिश्चित करें।

- 16.आईजीआरएस प्रार्थना पत्रों, पब्लिक ग्रिवांस, व सीएम डैश बोर्ड, पोर्टल में वर्णित विषयों को भौतिक सत्यापन करते हुए समयबद्धता, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया ।
17. महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत एण्टी रोमियो टीम/महिला बीट अधिकारी द्वारा मिशनशक्ति कक्ष/महिला हेल्प डेस्क तथा लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर बाजार सार्वजनिक स्थानों/स्कूल/कॉलेज/शिक्षण संस्थानों में महिलाओं/बालिकाओं से सम्पर्क कर गोष्ठी का आयोजन करते हुये उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाये तथा विभिन्न लाभप्रद योजनाओं/हेल्पलाइन नम्बरों आदि की जानकारी दी जाये।
- 18.चरित्र सत्यापन संबन्धी लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सभी का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिये।
- 19.श्रावण मास, कांवरिया मार्ग तथा शिवालयों तथा आगामी त्यौहारों के अवसर पर समुचित पुलिस प्रबन्ध करते हुए सतर्क दृष्टि रखने सम्बन्धी निर्देश दिये गये।
- 20.शासन द्वारा चलाए गए अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित अपराधों की प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए,

इस दौरान अपर पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन, सहायक पुलिस आयुक्त पिण्डरा व राजातालाब तथा समस्त प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्ष व अन्य कर्मचारीगण मौजूद रहे ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
गोमती ज़ोन, कमिश्नरेट वाराण